यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, के माह 06/2016 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री जितेन्द्र संह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.09.2017 से 23.09.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री गौरव पंत लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03/06/2016 से 15/06/2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापीरक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2014 से 05/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016/ से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः-

(अ) जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, का मुख्य कार्यकलाप जनपद में संचा लत बाल परियोजनाओं के संचालन में मुख्यालय द्वारा दिये गए निर्देशों/आदेशों का प्रभावी क्रयान्वयन एवं उ चत मार्गदर्शन।

(ब) जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, एवं इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं का भौगो लक क्षेत्र समस्त हरिद्वार के वकास खण्ड में स्थित है।

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत **(-)** समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	378.50	375.48	9331.88	9096.07	--	238.83
2015-16	--	--	88.88	87.72	170.55	170.02	--	2.68
2016-17	--	--	22.20	18.96	596.34	590.22	--	9.36
2017-18 (up to Aug. 2017	--	--	16.29	10.59	--	--	--	5.70

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
अप्रस्तुत					

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. निदेशक 3. डी,पी,ओ, 4. सी.डी.पी.ओ 5. सुपरवाइजर 6. आंगनवाड़ी कार्यकत्री सहायिका

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 01 : वभागीय उदासीनता के कारण **6462** लाभा थयों को रूपये **969.30** लाख का भुगतान लम्बित रहना ।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अ भयान योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओं ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हों चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जी वत सन्तानें भी हों को दिया जाएगा योजना के अन्तर्गत आ र्थक सहायता के रूप में रूपये 15000/- की धनरा श तीन कश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम कश्त बा लका के अ भभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अ धकतम एक माह के अन्दर 5000/- की धनरा श A/c Payee चैक के माध्यम से कन्या के अ भभावक को प्रदान की जायेगी। शेष धनरा श रूपये 10,000/- एफ॰ डी॰ के माध्यम से बैंक में कन्या तथा उसके माता-पता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द् वतीय कश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पता के खाते मे E-transfer के माध्यम से रूपये 5000/- की धनरा श हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनरा श को पुनः 8 वर्षों की अव ध के लए एफ॰ डी॰ करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम कश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनरा श लाभार्थी बा लका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अ ववाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत आ र्थक सहायता हेतु यह शर्त भी थी क यदि बा लका की अपरिहार्य कारणों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो यह धनरा श राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास, हरिद्वार की नन्दा देवी योजना के नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया क योजना के अन्तर्गत सम्प्रेक्षा अव ध अगस्त 2017 तक कुल प्राप्त 10295 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 3833 लाभा थयों को ही उक्त योजना के अन्तर्गत रूपये 15000/- की दर से भुगतान कया गया, जब क लेखा परीक्षा (अगस्त 2017) तक 6462 लाभा थयों को रूपये 15000/- प्रति लाभार्थी की दर से रूपये 969.30 लाख का भुगतान कया जाना लम्बित था।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर वभाग ने अवगत कराया क लाभा थयों को बजट के अभाव के कारण भुगतान नहीं कया जा सका।

वभाग द्वारा दिये गए उत्तर से स्वतः स्पष्ट हो जाता है क वभागीय उदासीनता के कारण 6462 लाभा थयों को योजना के अन्तर्गत मलने वाले लाभ से वं चत रहना पड़ा। अतः वभागीय उदासीनता के कारण 6462 लाभा थयों को रूपये 969.30 लाख का भुगतान लाबित रहने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 02 : आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रुपए 1606.00 लाख के अनुपयोगी रहने तथा रुपए 154.00 लाख का अनिय मत व्यय।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल वकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा भवन वहीन आगंबाड़ी केन्द्रों के लए पक्का भवन बनाए जाने के लए राज्य सरकारों से कार्ययोजना बनाने हेतु निर्दे शत कया गया था (दिसंबर 2102), इस क्रम मे उत्तराखण्ड मे 1450 नए केन्द्रों का निर्माण व 113 केन्द्रों का उच्चीकारण हेतु राज्यान्श रुपए 1659.50 लाख व केंद्रान्श रुपए 4978.50 लाख कुल रुपए 6638.00 लाख की वत्तीय स्वीकृति प्रदान की थी, (उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 151 /XVII (4)/2015/2 (13) 2013 दिनांक 16.02.2015) इसी क्रम मे जनपद हरिद्वार हेतु 500 नए आगंबाड़ी केन्द्रो के निर्माण हेतु रुपए 4.50 लाख की दर से रुपए 2250.00 लाख तथा 10 केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु रुपए एक लाख की दर से रुपए 10 लाख कुल रुपए 2260.00 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कया गया था। धनरा श दो कस्तों में, रुपए 158500000.00 एवं रुपए 67500000.00 कुल रुपए 226000000.00 की धनरा श आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु अवमुक्त हुई थी (फरवरी 2015)। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध मे भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशनुसार आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की लागत संशो धत करते हुए रुपए 4.50 लाख से रुपए 7.00 लाख करते हुए निर्देश दिया गया क एक केंद्र के निर्माण पर वभाग द्वारा मात्र रुपए 2.00 लाख की धनरा श व्यय की जायेगी और शेष रा श रुपए 5.00 लाख मनरेगा से व्यय की जायेगी, और दोनों वभागो मे समन्वय स्था पत करना होगा। उत्तराखण्ड के शासन्देश संख्या 1220/XVII (4)/2013/2/(4)/13 दिनांक द्वारा आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण हेतु वकास खंड को कार्यदायी संस्था ना मत कया गया था।

ज़िला परियोजना अ धकारी हरिद्वार के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की जनपद हरिद्वार मे कुल 3056 आगनवाड़ी केंद्र तथा 123 मनी केंद्र स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 2842 आगनवाडी केंद्र तथा 62 मनी केंद्र संचा लत हो रहे थे। 2842 आगनवाडी केंद्र एवं 62 मनी केंद्र के सापेक्ष के सापेक्ष 1594 केंद्र कराए के भवन मे संचा लत थे तथा 430 केन्द्रों को अन्य भवन के रूप मे दर्शाया गया था शेष 880 केंद्र वभागीय अथवा शासकीय भवन मे संचा लत हो रहे थे। भारत सरकार के संशो धत दिशा निर्देशा अनुसार वभाग / जनपद मे उपलब्ध रा श रुपए 2250.00 लाख से 500 के स्थान पर 1125 आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कया जा सकता था, जिसका प्रस्ताव जनपद द्वारा दिनांक 17 मई 2016 को निदेशालय को प्रे षत कया गया था परन्तु संप्रेक्षा ति थ तक स्वीकृति अप्राप्त थी। जांच मे पाया गया क जनपद मे मात्र 654 आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एक लाख की दर से रुपए 654.00 लाख की धनरा श, प्राप्ति ति थ के 15 से 22 माह के वलम्ब से, प्रथम कस्त के रूप मे वकास खंडो को हस्तांतरित की गयी थी, ववरण निमन्वत था –

क्रम संख्या	वकास खण्ड का नाम	बाल वकास परियोजना का नाम	केन्द्रों की संख्या	दिनांक	धनरा श
1	बहादराबाद	बहादराबाद प्रथम	78	13.5.2016	7800000
2	बहादराबाद	बहादराबाद दित्तीय	88	13.5.2016	8800000
3	भगवान पुर	भगवानपुर	136	13.5.2016	13600000
4	लक्सर	लक्सर	09	13.5.2016	900000
5	नरसन	नरसन	03	13.5.2016	300000
6	रुड़की	रुड़की प्रथम	20	13.5.2016	2000000
7	रुड़की	रुड़की दित्तीय	59	13.5.2016	5900000
8	खानपुर	खानपुर	16	13.5.2016	1600000
9	भगवानपुर	भगवानपुर	02	12.07.2016	200000
10	खानपुर	खानपुर	12	12.07.2017	1200000
11	भगवानपुर	भगवानपुर	02	20.12.2016	200000
12	लक्सर	लक्सर	52	20.12.2016	5200000
13	खानपुर	खानपुर	08	20.12.2016	800000
14	नारसन	नारसन	169	20.12.2016	16900000
			654		**6,54,00,000**

शेष रा श रुपए 163590944.00 ब्याज सहित (मूल रा श 16,06,00,000.00 + ब्याज की रा श 29,90,944.00) ज़िला कार्यक्रम अ धकारी के पदनाम खाते (IDBI बैंक खाता संख्या 85861355 एवं HDFC बैंक खाता संख्या 64444123 मे) मे (जून 2017) शेष / अनुपयोगी पड़ी हुई थी, जब क जनपद के 1594 केंद्र कराए के भवन मे संचा लत था तथा जिन 654 केन्द्रो के निर्माण हेतु धनरा श निर्गत की गयी थी उसका निर्माण कार्य न केवल अपूर्ण था अ पतु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त था।

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क वभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के आभाव मे 75% भारत सरकार द्वारा वत्त पो षत योजना आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रुपए 2260.00 लाख की धनरा श के उपयोग मे न केवल लापरवाही बरती गयी अ पतु रुपए 163590944.00 की धनरा श (फरवरी 2015 से संप्रेक्षा ति थ सतम्बर 2017 तक) वगत 31 माह से अनुपयोगी थी जब क जनपद मे 1594 आगनबाड़ी केन्द्र कराए के भवन मे संचा लत थे। आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण मे हो रहे वलम्ब के कारण सरकार को अनावश्यक रूप से कराए के रूप मे अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा जो क सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से हानी थी। इसके अतिरिक्त भारत /राज्य सरकार से मात्र 500 केन्द्रो के निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई थी, जिला कार्यक्रम अ धकारी हरिद्वार द्वारा बिना शासन की अनुमति के 154 अतिरिक्त केन्द्रों के निर्माण हेतु रुपए 154.00 लाख का अनिय मत व्यय कया गया जो की एक गंभीर वत्तीय अनिय मतता थी।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया। वभाग द्वारा उत्तर न दिये जाने से स्पष्ट था क भारत सरकार द्वारा वत्त पो षत योजना आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रुपए 1606.00 लाख की धनरा श के उपयोग मे न केवल लापरवाही बरती गयी अ पतु रुपए 163590944.00 की धनरा श (फरवरी 2015 से संप्रेक्षा ति थ सतम्बर 2017 तक) वगत 31 माह से अनुपयोगी थी इसके अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अ धकारी हरिद्वार द्वारा बिना शासन की अनुमति के 154 अतिरिक्त केन्द्रों के निर्माण हेतु रुपए 154.00 लाख का अनिय मत व्यय कया गया जो की एक गंभीर वत्तीय अनिय मतता थी।

अतः आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रुपए 1606.00 लाख की धनरा श वगत 31 माह से अनुपयोगी रहने तथा रुपए 154.00 लाख का अनिय मत व्यय कए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 03 : शासनादेशों एवं वत्तीय नियमो व प्रा वधानों के वपरीत प्राइवेट बैंक खातो मे जमा धनरा श रु 22.60 करोड़ तथा चालू बैंक खाता खोले जाने से शासन को धनरा श रु **66.31** लाख की प्रत्यक्ष हानी।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 151 /XVII (4)/2015/2 (13) 2013 दिनांक 16.02.2015 द्वारा जनपद हरिद्वार हेतु 500 नए आगंबाड़ी केन्द्रो के निर्माण हेतु रुपए 4.50 लाख की दर से रुपए 2250.00 लाख तथा 10 केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु रुपए एक लाख की दर से रुपए 10 लाख कुल रुपए 2260.00 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए दो कस्तों में, रुपए 158500000.00 एवं रुपए 67500000.00 कुल रुपए 226000000.00 की धनरा श आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु अवमुक्त कया गया था (फरवरी 2015)।

ज़िला परियोजना अ धकारी हरिद्वार के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की उक्त रा श को कोषागार से आहरित कर मुख्य वकास अ धकारी हरिद्वार के पी० एल० ए० खाते मे रख लया गया था, उक्त रा श को मुख्य वकास अ धकारी हरिद्वार के पी० एल० ए० खाते से आहरित कर दिनांक 22.03.2016 को IDBI हरिद्वार बैंक खाता संख्या 1366102000001977 मे रुपए 14,09,50,000.00 की धनरा श तथा दिनांक 31.03.2016 को HDFC हरिद्वार के बैंक खाता संख्या 64444123 मे रुपए 8,51,42,951.00 की धनरा श जमा कया गया दर्शाया गया था। जांच मे पाया गया की IDBI बैंक मे जमा रा श रुपए 14,09,50,000.00 के सापेक्ष वगत 18 माह मे कोई भी ब्याज की रा श प्राप्त नहीं हुई थी जब क HDFC बैंक खाते मे जमा रा श पर वगत 18 माह मे रुपए 29,90,944.00 का ब्याज (01.04.2017 तक की स्थिति) प्राप्त हुआ था। IDBI बैंक मे बचत खाता खोलने के स्थान पर चालू खाता खोलने का कोई आधार नहीं था जब क बैंक पास बुक मे स्पष्ट शब्दो मे बचत बैंक पासबुक लखा हुआ है इसके बाद भी ब्याज न मलना यथो चत प्रतीत नहीं होता, तथा एक ही कार्य हेतु दो अलग अलग प्रकार का दो बंकों मे खाता खोलने का कोई आधार नहीं था। उक्त ववरण से परिल क्षत है की वभाग द्वारा जानबूझ कर बैंक को लाभ पहुँचाने की मंशा से अनावश्यक रूप से IDBI बैंक मे चालू खाता खोला गया और शासन को साधारण दर से न्यूनतम रुपए 66,31,216.04 की धनरा श की हानी पहुंचाई गयी। ववरण निमन्वत था-

दिनांक	जमा रा श	निकासी	अंतिम शेष	अव ध	दिनो की संख्या **(X)**	उक्त अव ध मे बैंक मे जमा रा श **(Y)**	साधारण एवं न्यूनतम दर देय ब्याज की गणना **(Y*4/365*X=)**
22.03.16	140950000	00	140950000	23.03.16 से 16.05.16	55	140950000	849561.64
17.05.16	00	13600000	127350000	17.05.16	01	127350000	13956.16
18.05.16	00	16600000	110750000	18.05.16 से 25.5.16	08	110750000	97095.89
26.05.16	00	900000	109850000	26.05.16 से 25.07.16	61	109850000	734339.72
26.07.16	00	200000	109650000	26.07.16 से 27.12.216	155	109650000	1862547.94
28.12.16	00	5200000	104450000	28.12.16 से 18.01.17	22	104450000	251824.65
19.01.17	00	200000	104250000	19.01.17 से 22.09.17	247	104250000	2821890.04
--	--	--	--	--	--	--	**6631216.04**

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क वभाग द्वारा शासनादेशों एवं वत्तीय नियमो व प्रा वधानों के वपरीत अनावश्यक रूप से भारत सरकार द्वारा वत्त पो षत योजना आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रुपए 2260.00 लाख की धनरा श को दो प्राइवेट बैंक खातो मे जमा कया जिसमे एक बैंक खाता चालू बैंक खाता खोला गया और शासन को जानबूझ कर संप्रेक्षा ति थ तक रुपए 66,31,216.04 (साधारण एवं न्यूनतम दर से गणना की गयी) की धनरा श की प्रत्यक्ष हानी पहुंचायी गयी थी।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर वभाग ने अवगत कराया क दो प्राइवेट बैंक में खाता त्रुटिवश खोला गया जिसे अ वलम्ब परिवर्तित कर दिया जायेगा भ वष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क वभाग द्वारा शासनादेशों एवं वत्तीय नियमो व प्रा वधानों के वपरीत अनावश्यक रूप से भारत सरकार द्वारा वत्त पो षत योजना आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रुपए 2260.00 लाख की धनरा श को दो प्राइवेट बैंक खातो मे जमा कया, जिसमे एक बैंक खाता चालू बैंक खाता खोला गया और शासन को जानबूझ कर धनरा श रुपए 66,31,216.04 (साधारण एवं न्यूनतम दर से गणना की गयी) की प्रत्यक्ष हानी पहुंचायी गयी थी।

अतः वभाग द्वारा शासनादेशों एवं वत्तीय नियमो व प्रा वधानों के वपरीत प्राइवेट बैंक खातो मे जमा धनरा श रुपए 2260.00 लाख तथा चालू बैंक खाता खोले जाने से शासन को धनरा श रुपए 66.31 लाख की प्रत्यक्ष हानी पहुंचाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 04 : 33.30 लाख के अर्जित ब्याज एवं की धनरा श को शासन को प्रे षत न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं॰ 99 / xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनरा श को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि कसी मद में ब्याज की धनरा श को व्यय कया जाना हो तो वत्त वभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनरा श को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनरा श की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास हरिद्वार के योजनाओं के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया क वभाग को आबंटित धनरा श पर बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2016-17 से 2017-18 (अगस्त 2017 तक) की अव ध में प्राप्त ब्याज की रा श को 0049 में जमा न करने या धनरा श को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनरा श की मांग शासन से नहीं कए जाने से ब्याज की धनरा श रुपए 33,29,763 लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की रा श का ववरण निम्नानुसार है:-

क्र॰ सं॰	योजना का नाम	ब्याज की धनरा श
1	जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार राज्य पो षत योजनाये	4,31,770
2	जिला कार्यक्रम अ धकारी, हरिद्वार में केन्द्र पो षत योजनायें	28,97,993.00
कुल योग		33,29,763

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क बैंक में ब्याज की धनरा श प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा वभाग द्वारा ब्याज की धनरा श को शासन को वापस नहीं कया जा रहा था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर वभाग ने अवगत कराया क वभाग द्वारा उक्त धनरा श को अ वलंब जमा करा दिया जायेगा।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क वभाग द्वारा एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वभाग द्वारा शासन को धनरा श वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनरा श अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका वकास कार्यों पर उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं कया जा सका। अतः वभाग द्वारा रू॰ 33.30 लाख के अर्जित ब्याज की धनरा श को शासन को प्रे षत न कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 05 : धनरा श रुपए 109.50 लाख के उपयो गता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समायोजन न कया जाना।

निदेशालय के पत्र आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या सी॰ - 437/ बजट-4073 / 2016-17 दिनांक 20 मई 2016 एवं शासनादेश संख्या 2084/XVII (4)/2014/129/ 06 TC दिनांक 05 नवंबर 2014 के अनुसार मुख्य मंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के अन्तर्गत बाल वकास परियोजना अ धकारियों को मांग के अनुसार रुपए 1,00,00,000.00 धनरा श अ ग्रम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त धनरा श की फांट करते हुये अपने अधीनस्थ संचा लत सभी बाल वकास परियोजना अ धकारियों को उपलब्ध करायी जाएगी। आहरित धनरा श का समायोजन इसी वर्ष 2016-17 में करा लया जायेगा ।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास हरिद्वार के वर्ष 06/2016 से 08/2017 तक लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया क कार्यालय के पत्रांक/C-1077/ का॰ क्र॰-582/ 2016-17 दिनांक 02/09/2016 के द्वारा धनरा श रुपए 10000000.00 सभी बाल वकास अ धकारियों को इस निर्देश के साथ पदनाम खातों में जमा करा दिये गये, क उक्त अ ग्रम आहरण का उपभोग करने के पश्चात समायोजन बिल वाउचर इस कार्यालय को देना सुनिश्चित करें। उक्त धनरा श के सापेक्ष कसी भी बाल वकास परियोजना अ धकारी द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। वभागीय उदासीनता के कारण इस धनरा श का समायोजन सम्प्रेक्षा ति थ तक (सतम्बर 2017) नहीं कराया गया।

इसके अतिरिक्त आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ प्र शक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वभाग द्वारा जून 2016 में धनरा श रुपए 5.00 लाख तथा जुलाई 2016 में 4.50 लाख कुल 9.50 लाख की धनरा श अवमुक्त की गयी ले कन लेखा परीक्षा ति थ (सतम्बर 2017) तक उक्त धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कए गए।

उक्त ववरण से स्पष्ट है क वभाग द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कए जाने में उदासीनता बरती गयी। धनरा श रुपए 109.50 लाख (10000000.00 + 950000.00 = 10950000.00) का एक वर्ष से अ धक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी समायोजन नहीं कया गया जो वभाग की उदासीनता एवं लापरवाही को परिल क्षत करता है।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर वभाग ने अवगत कराया क समस्त सीडीपीओ एवं प्र शक्षण संस्थान से सूचना प्राप्त कर समायोजन कर लया जाएगा जिसे अगले संप्रेक्षण के समय प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क वभाग द्वारा एक वर्ष से अ धक का समय बीत जाने के बाद भी नहीं कया गया जब क उक्त धनरा श का समायोजन वर्ष 2016-17 में करा लया लया जाना था ले कन वभाग द्वारा उसका समायोजन सम्प्रेक्षा ति थ तक नहीं कया गया।

अतः वभाग द्वारा धनरा श रुपए 109.50 लाख के उपयो गता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समायोजन न कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
32/2007-08	शून्य	1,2,3	शून्य
52/2009-10	शून्य	1	शून्य
20/2010-11	1	1,2	शून्य
26/2015-16	शून्य	1,2,3,4	शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
32/2007-08	1,2,3	भाग-दो (ब)	यथावत	
52/2009-10	1	भाग-दो (ब)	यथावत	
20/2010-11	1 1,2	भाग-दो (अ) भाग-दो (ब)	यथावत	
26/2015-16	1,2,3,4	भाग-दो (ब)	यथावत	

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री मोहित चौधरी	जिला कार्यक्रम अ धकारी	02/08/14 से 17/11/16
2.	सुश्री शैली प्रजापति	जिला कार्यक्रम अ धकारी (प्रभारी)	23/11/16 से 06/03/17
3.	श्री अ खलेश शुक्ला	जिला कार्यक्रम अ धकारी (प्रभारी)	07/03/17 से 10/09/17
4.	सुश्री शैली प्रजापति	जिला कार्यक्रम अ धकारी (प्रभारी)	10/09/17 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, को इस आशय से प्रे षत कया गया क वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी /सा.क्षे.